

भारत सरकार
 संचार मंत्रालय
 दूरसंचार विभाग
 लोक सभा
 तारांकित प्रश्न सं. *52
 उत्तर देने की तारीख 23 जुलाई, 2025

ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में खराब मोबाइल कनेक्टिविटी

***52. श्री धर्मबीर सिंह:**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेषकर भिवानी, महेन्द्रगढ़ और नूह जैसे जिलों में खराब मोबाइल कनेक्टिविटी वाले ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों की पहचान की है, यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ख) क्या कम कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में नए 4जी/5जी टावर स्थापित करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ग) क्या मोबाइल सिग्नल संबंधी समस्याओं और कॉल ड्रॉप के संबंध में ग्राम पंचायतों से शिकायतें प्राप्त करने के लिए कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(घ) क्या हरियाणा में अंतिम छोर तक संपर्क सुविधा बढ़ाने के लिए भारतनेट अथवा यूएसओएफ धनराशि का उपयोग किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार की राजस्थान की सीमा से लगे ऐसे क्षेत्रों में एमटीएनएल/बीएसएनएल नेटवर्क का उन्नयन सुनिश्चित करने की योजना है और जहां सिग्नल कम आते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर
 संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री
 (श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ड.) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में खराब मोबाइल कनेक्टिविटी के संबंध में दिनांक 23 जुलाई, 2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *52 के भाग (क) से (ङ) के संबंध में लोक सभा के पटल पर रखा जाने वाला विवरण

(क) और (ख) मई 2025 तक, देश के 6,44,131 गाँवों (भारत के महारजिस्ट्रार के आँकड़ों के अनुसार) में से 6,29,027 गाँवों को मोबाइल कनेक्टिविटी से कवर किया गया है और इनमें से 6,23,512 गाँवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी मौजूद है। हरियाणा के भिवानी, महेंद्रगढ़ और नूह ज़िलों के सभी 1,070 गाँवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी मौजूद है।

सेवा से वंचित आबादी वाले किसी भी गाँव के लिए मोबाइल कवरेज तकनीकी-व्यवसायिक व्यवहार्यता के आधार पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा प्रदान किया जाता है। सरकार डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) से वित्तपोषण के माध्यम से हरियाणा सहित देश के ग्रामीण, दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों में 4जी मोबाइल टावरों की स्थापना के माध्यम से दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार हेतु विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है।

(ग) उपभोक्ताओं के पास मोबाइल सिग्नल संबंधी समस्याओं और कॉल ड्रॉप के संबंध में शिकायत दर्ज कराने के कई विकल्प हैं, जैसे:

- प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) के पास सेवा संबंधी शिकायतें दर्ज कराने के लिए अपना स्वयं का ग्राहक सेवा केंद्र है।
- टीएसपी को दिए गए ट्राई के अधिदेश के अनुसरण में, सेवा संबंधी शिकायतों के लिए संबंधित टीएसपी के अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दर्ज कराई जा सकती है।
- भारत सरकार के केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल पर भी शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं।

(घ) जून, 2025 तक, डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) की विभिन्न स्कीमों के तहत हरियाणा में दूरसंचार और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 970 करोड़ रुपये संवितरित/उपयोग किए गए हैं। इसमें से 771 करोड़ रुपये भारतनेट परियोजना के तहत संवितरित किए गए हैं। अब तक, भारतनेट के तहत हरियाणा में 1,59,949 फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

(ङ) बीएसएनएल ने अपने नवीनतम चरण IX.2 परियोजना में हरियाणा में 2,056 4जी साइट स्थापित की हैं। इनमें से 829 साइट भिवानी, महेंद्रगढ़ और नूह सहित राजस्थान की सीमा से लगे हरियाणा के जिलों में स्थापित की गई हैं।
